RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

मार्च-2022 | वर्ष - 14 | अंक : 02 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल) मो.: 8299162841
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

होलिका दहन

फागुन महीने की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर लकड़ी घास फूँस का बड़ा ढेर लगाकर एक भड्डरी या ब्राह्मण के द्वारा आग लगाई जाती है। यज्ञ भी इसी दिन किया जाता है। बुहत कीमती पकवान बनाए जाते हैं। रंग गुलाल की रंगाई होती है शराब भंग पी जाती है और स्त्रियों के साथ नाँच रंग होता है। होली रात्रि में सूर्योदय से पहले जलाई जाती हैं। होली कथा भविष्य पुराण में आई है। नारद राजा युधिष्ठर को होली की कथा सुनाते हैं कि हिरण्य कश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ होलिका को आग में डालकर जला दिया

गया था इसी दिन होली जलाई जाती है। राक्षस की बहिन ही हत्या की खुशी में नाँच रंग अबीर गुलाल डालकर होली मनाई जाती है। कथा में आया है कि हिरण्य कश्यप राक्षसों का राजा था और आर्यों का घोर विरोधी था। आर्य इन देवताओं के नाम पर निरपराध पशुओं की बलि देकर हिंसा करते थे। उसने अपने राज्य में पशु बलि बन्द करा दी और हत्यारे आर्य ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु की पूजा पर प्रतिबन्ध लगा दिया और इनका नाम लेने और ब्राह्मण के पाखण्ड पर दण्ड देने लगा। इसके भय से ब्राह्मण और उनके देव विष्णु ने मिलकर हिरण्य कश्यप के वध करने की योजना बनाई और कपटी वेष बनाकर विष्णु ने नकली शेर की खाल ओढ़कर खम्भे से छिपकर उस अनार्य राजा को मार डाला। प्रहलाद जो उनका लड़का था उसे बरगला कर अपनी ओर मिला लिया। कुटुम्ब द्रौही प्रहलाद अपनी बुआ को धोखा देकर ले गया और आर्यों द्वारा उसे आग में जलवा दिया और स्वयं बच गया।

विधि विधान : फागुन पूर्णिमा के व्यतीत होने पर सुबह पहर में होली जलाई जाती है। उससे एक पक्ष पूर्व होली रखी जाती है लकड़ी कण्डे इकट्ठे किए जाते हैं और पूर्णमासी को जला दिए जाते हैं। परिवा के दिन नाच रंग होता है अबीर गुलाल से होली खेलते हैं घरों मे अच्छे पकवान बनाते हैं और स्त्री पुरूष सभी नशे में धुत होकर रिश्ते नाते बंधन टूट जाते हैं लज्जा खूटी पर रख दी जाती है और खुलकर हँसी मजाक होता है ससुर बहू को बहू ससुर को देवर भाभी को जेठ छोटी भाभी से खूब विनोद मनाते है। हिन्दुओं की घोर अश्लीलता का यह त्यौहार है अगर इस अवसर पर कोई हिन्दू परदा को रिश्ते वाले स्त्री से भी भोग कर बैठे तो कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं है। परिवा के दिन हिन्दू होली की परिक्रमा कर अक्षत डालते हैं और ढोलक मंजीरों के साथ गाते बजाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात्रि में सब लोग इकट्ठे होते हैं और होली के पास उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके बैठते हैं फिर एक ब्राह्मण द्वारा होली में आग लगाई जाती है कुँवारी हिन्दू कन्याएँ रात में ही जाती हैं। थाली में भोजन और दान ले जाती हैं और होली का पूजन कर वह भोजन दान ब्राह्मण को देती है। गेहूँ, जौ, चना की बालें भूनी जाती हैं। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। राक्षस दमन की खुशी में सभी हिन्दू एक - दूसरे के गले मिलते हैं। गाँजा भांग शराब छक कर पिए जाते हैं।

उद्देश्य एवं रहस्य : यह आर्य और अनार्य के संघर्ष की एक खून भरी कहानी है। हिरण्य कश्यप अनार्य आदिवासी राजा था जिनके वंशज आज शूद्र हैं राजा कश्यप को शेर की खाल ओढ़कर मुँह छिपाकर मारा था ताकि पहचाने न जा सके और कश्यप का लड़का प्रहलाद भी न जान सके कि जो लोग उससे मिले हैं उन्हीं ने उसके पिता की हत्या

कर दी है। नरसिंह अवतार की कहानी महज शूद्रों के विद्रोह को रोकने की नियत से गढ़ी गई है जो मनगढ़ंत है। राजा हिरण्य कश्यप के राज्यकाल के समय की समस्त पुस्तके और साहित्य को जला डाला गया बाद में प्रहलाद को भी मार डाला गया। जिस समय आर्यों ने यह विद्रोह अनार्य राजा के विरुद्ध कथा और शूद्र राजा को मार डाला तो अनार्य शूद्र जाति की स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसी की परम्परा में भी समाज के सवर्ण ठेकेदार दलाल गरीबों दलितों की माँ बहनों की इज्जत के साथ खेलते और होली के हुड़दंग के नाम पर इन्हें अपनी हविश का शिकार बनाते हैं। हर साल पर्व के नाम पर रंग, गुलाल लेकर इनके घरों में इनकी स्त्रियों के पास पहुँच जाते है। कितनी विडम्बना है कि सैकड़ों वर्षो से इस दलित शूद्र जाति ने हिन्दुओं के इस अत्याचार को हँसकर स्वीकारा है। उसने यह भी न सोचा कि यह उसी के राजा और उसी के वंश के विनाश के यादगार की कहानी होली का पर्व है और आज के दिन सवर्ण हिन्दुओं को जो महिलाओं से मिलने की छूट मिल जाती है उसी के फलस्वरूप वह हिन्दू उस शूद्र की स्त्रियों के साथ सालों भी बलात्कार जैसे कु कर्म करता रहता है।

होली के त्यौहार पर गले मिलकर रंजिश उससे बदला न लें और अपनी पीड़ा भूल जाये।

भेद भाव मिटाने का नाटक रचा जाता है। इसका अर्थ है कि सारे वर्ष जुल्म अत्याचार हत्या लूट ये सवर्ण हिन्दू करता है और शूद्र इन अपराधों का शिकार होता है। इस अवसर पर सवर्ण हिन्दू यह गले मिलकर अपने ऊपर किए गए कुकर्म अपराधों को भूल जाने की सलाह देता है। ताकि शूद्र उससे बदला न लें और अपनी पीड़ा भूल जाये।

इस त्यौहार पर ब्राह्मणों की पौ बारह होती है। भोजन दान हफ्तों चलता है। झोली भर-भर कर दान दिया जाता है। हाथी, घोड़ा, गाय, अन्न, सोना, चाँदी, बर्तन जो जैसा दान दे पाता है। ब्राह्मणों को दान देता है। यह ब्राह्मण की स्वार्थ पूजा का त्यौहार है बाजार से करोड़ों रुपए की घी, तेल, अबीर, गुलाल, रंग पिचकारी आदि सामग्री खरीद कर खर्च कर दी जाती है इससे गरीब पर कर्ज बढ़ता और बनियों के घर बनते हैं गरीब कर्ज लेकर खर्च करता है और वैश्य वर्ण चौगुने लाभ पर बेचता है। यह शूद्रों की बरबादी का त्यौहार है।

वास्तविकता यह है कि होली शूद्रों पर अत्याचार की यादगार है। शूद्र इसे भूल जाएँ और अपने ही राजा और राज महिला होलिका की हत्या भूलकर उन्हें ही पापी अत्याचारी समझने लगें। यह त्यौहार उसी षड्यन्त्र की कड़ी है, इस प्रकार यह त्यौहार शूद्र जाति के लिए अपमान शेषण दमन और अत्याचार की कहानी है। इसे शूद्रो को नहीं मनाना चाहिए।

साभार :
हिन्दुओं के व्रत-पर्व और त्यौहार
एस.एल. सागर

पृष्ठ संख्या 115 से 117 तक

विराट पर्व और उद्योग पर्व की विश्लेषणात्मक टिप्पणियां

विराट पर्व

1. कौरवों ने पांडवों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए गुप्तचर भेजे, परंतु वे गुप्तचर दुर्योधन के पास लौट आते हैं और बताते हैं कि वे पांडवों का पता लगाने में असमर्थ हैं। ये दुर्योधन की आज्ञा के अभिलाषी हैं कि अब क्या किया जाए? – (विराट पर्व, अध्याय–25)

2. दुर्योधन अपने सलाहकारों से परामर्श करना है। कर्ण ने कहा कि अन्य गुप्तचर भेज जाएं। दुःशासन ने कहा कि पांडव समुद्र पार चले गए होंगे। परंतु उनकी खोज की जाए।–(वही, अध्याय–26)

3. द्रोण ने कहा कि पांडवों को हराना अथवा उन्हें नष्ट करना संभव नहीं है। वे तपस्वी के वेष में होंगे, अतः सिद्धों और ब्राह्मणों को गुप्तचर के रूप में भेजा जाए। (वही, अध्याय–27)

4. भीष्म द्रोण का समर्थन करते हैं।–(वही, अध्याय–28)

5. कृपाचार्य ने भीष्म का समर्थन किया और कहा–पांडव हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। परंतु बुद्धिमान लोग छोटे शत्रुओं की भी अवहेलना नहीं करते हैं। जब वे अज्ञातवास में हैं तो आप अभी से जाकर सेनाओं को एकत्र करें। (वही, अध्याय–29)

6. इसके बाद त्रिगढ़ के सम्राट सुशर्मा ने एक अलग विषय प्रस्तुत किया। उसने बताया कि कीचक के बारे में 'मैंने' सुना है कि उसका निधन हो गया है, जो सम्राट विराट का सेनापति था। सम्राट विराट हमें अत्यधिक कष्ट देने वाला है। कीचक के निधन जाए? यह सबसे उपयुक्त समय है। कर्ण ने भी सुशर्मा का समर्थन किया। पांडवों के बारे में चिंता क्यों की जाए? ये पांडव धन और सेना से वंचित हैं तथा परास्त हैं। उनके बारे में परेशान क्यों हुआ जाए? वे अब तक मौत की गोद में चले गए होंगे। इस खोज–अभियान का त्याग कर दिया जाए और सुशर्मा की योजना को अमल में लाया जाए।–(वही, अध्याय–30)

7. सुशर्मा विराट पर आक्रमण करता है। सुशर्मा विराट की गायों को ले आता है। गायों के चरवाहे विराट को यह सूचना देते हैं और सम्राट से आग्रह करते हैं कि सुशर्मा का पीछा किया जाए तथा गायों की रक्षा की जाए।–(वही, अध्याय–31)

8. विराट युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस बीच विराट के छोटे भाई शतनीक ने सुझाव दिया कि अकेले जाने के बजाय वह अपने साथ कनक (सहदेव), बल्लभ (युधिष्ठिर), शांतिपाल (भीम) और ग्रांथिक (नकुल) को अपने साथ ले लें, ताकि वे सुशर्मा से युद्ध करने में उनकी सहायता करें। विराट ने इस सुझाव पर अपनी सहमति प्रकट की और वे सभी गए। (वही, अध्याय–31)

9. सुशर्मा और विराट के बीच युद्ध।–(वही, अध्याय–32)

10. युधिष्ठिर विराट की रक्षा करता है।–(वही, अध्याय–33)

11. विराट नगरी में घोषणा होती है कि उनके सम्राट सुरक्षित हैं।–(वही, अध्याय–34)

विराट नगरी में कौरवों का प्रवेश

12. जब सम्राट विराट सुशर्मा का पीछा कर रहे थे, तभी दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनि, दुःशासन, विविनशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुशल और अन्य योद्धाओं के साथ विराट नगरी में घुस गए तथा विराट की गायों को पकड़ कर ले जाने लगे। चरवाहे सम्राट विराट के महल में आए और उन्हें यह समाचार दिया। उन्हें सम्राट को खोजने की आवश्यकता नहीं हुई, उन्हें सम्राट का पुत्र उत्तर मिल गया। इसलिए उन्होंने उसे ही यह समाचार दिया।–(वही, अध्याय–35)

13. उत्तर ने गर्व से कहा कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ है और वह उनकी रक्षा कर लेगा। परंतु उसकी यह शिकायत थी कि उसका कोई सारथी नहीं हैं। द्रौपदी ने उसे बताया कि किसी समय ब्रह्मानंद अर्जुन का सारथी था। उससे क्यों न कहा जाए? उसने कहा कि उसके पास साहस नहीं हैं, अतः उसने द्रौपदी से निवेदन किया कि वह स्वयं जाकर उस सारथी से कहें। आप अपनी छोटी बहन मनोरमा से क्यों नहीं कहते। इसलिए उसने मनोरमा से कहा कि वह ब्रह्मानंद को ले आए।–(वही, अध्याय–36)

14. मनोरमा ब्रह्मानंद को अपने भाइयों के पास ले जाती है और उत्तर उसे अपना सारथी बनने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मानंद ने स्वीकृति दे दी और कौरवों के समक्ष उत्तर का रथ संभाल लिया।–(वही, अध्याय–37)

15. कौरवों की सेना देखकर उत्तर ने रथ छोड़ दिया और भागना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने उसे रोक लिया। कौरवों ने यह देखकर संदेह करना प्रारंभ किया कि यह व्यक्ति अर्जुन होगा। अर्जुन ने उससे कहा कि इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है।–(वही, अध्याय–38)

16. अर्जुन अपना रथ शामी वृक्ष तक ले गया। इसे देखकर द्रोण ने कहा कि इस व्यक्ति को अर्जुन ही होना चाहिए। यह सुनकर कौरव अधिक बेचैन हो गए। परंतु दुर्योधन ने कहा कि यदि द्रोण सही हैं, तो यह समाचार हमारे लिए सुखद है क्योंकि तेरहवें वर्ष से पूर्व ही पांडवों का पता लग गया है और उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर बनवास का दंड भोगना पड़ेगा।–(वही, अध्याय–39)

17. अर्जुन, उत्तर से शामी वृक्ष पर चढ़ने के लिए कहता है तथा शस्त्र नीचे डालने को कहता है।–(वही, अध्याय–40)

18. उत्तर द्वारा शामी वृक्ष पर शव होने का संदेह करना।–(वही, अध्याय–41)

19. शस्त्रों को देखकर उत्तर का हतप्रभ होना।–(वही, अध्याय–42)

20. अर्जुन द्वारा शस्त्रों का वर्णन।–(वही, अध्याय–43)

21. पांडवों के आवास के बारे में उत्तर की पूछताछ।–(वही, अध्याय–44)

22. वृक्ष से उतरते हुए उत्तर।–(वही, अध्याय–45)

23. हनुमान के चिह्न के साथ रथ। द्रोण इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि वह अर्जुन ही है। कौरवों की सेना को अपशकुन दिखाई देते हैं।–(वही, अध्याय–46)

24. दुर्योधन सैनिकों को प्रोत्साहित करता है, जो द्रोण के यह कहने पर भयभीत हो गए थे कि वह अर्जुन हैं। द्रोण के प्रति कर्ण की भर्त्सना और दुर्योधन को यह सुझाव कि द्रोण को मुख्य सेनापति के पद से हटा दिया जाए।–(वही, अध्याय–47)

25. कर्ण ने गर्व से यह घोषित किया और प्रतिज्ञा की कि वह अर्जुन को परास्त कर देगा।–(वही, अध्याय–48)

26. कृपाचार्य ने कर्ण को आत्मश्लाघी बनने और गर्व दिखाने पर चेतावनी दी। शास्त्रों द्वारा युद्ध को बुरा माना गया है।–(वही, अध्याय–49)

27. अश्वत्थामा कर्ण और दुर्योधन की भर्त्सना करता है, क्योंकि उन्होंने द्रोण की झूठी निंदा की है।–(वही, अध्याय–50)

28. अश्वत्थामा ने कर्ण और दुर्योधन को अपशब्द कहे, क्योंकि उन्होंने द्रोण की निंदा की। कर्ण ने उत्तर दिया, 'अंततोगत्वा मैं केवल सूत हूं।' परंतु अर्जुन ने उसी प्रकार दुर्व्यवहार किया है, जिस प्रकार राम ने बाली के साथ किया था।–(वही, अध्याय–50)

29. भीष्म, द्रोण और कृप द्वारा अश्वत्थामा को चुप कर दिया गया तथा दुर्योधन और कर्ण ने द्रोण से क्षमा याचना की।–(वही, अध्याय–51)

30. भीष्म का निर्णय कि पांडवों ने अपने बनवास के 13 वर्ष पूरे कर लिए हैं।–(वही, अध्याय–52)

31. अर्जुन ने कौरणों की सेना को परास्त कर दिया।–(वही, अध्याय–53)

32. अर्जुन कर्ण के भ्राता को पराजित करता है। अर्जुन, कर्ण को हराता है और कर्ण भाग जाता है।–(वही, अध्याय–54)

33. अर्जुन कौरवों की सेना का विनाश कर देता है तथा कृपाचार्य के रथ का विध्वंस कर देता है।–(वही, अध्याय–55)

34. देवता लोग आकाश में आ गए और उन्होंने अर्जुन तथा कौरवों की सेना के बीच घमासान युद्ध देखा।–(वही, अध्याय–56)

35. कृप और अर्जुन के मध्य युद्ध और कृप का युद्ध के मैदान से भाग जाना।–(वही, अध्याय–57)

36. द्रोण और अर्जुन के मध्य युद्ध और द्रोण का युद्ध के मैदान से भाग जाना।–(वही, अध्याय–58)

37. अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य युद्ध।–(वही, अध्याय–59)

38. कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध।–(वही, अध्याय–60)

39. अर्जुन द्वारा भीष्म पर आक्रमण।–(वही, अध्याय–61)

40. अर्जुन कौरवों के सैनिकों को मौत के घाट उतारता है।–(वही, अध्याय–62)

41. भीष्म की पराजय और उसका युद्ध के मैदान से पलायन।–(वही, अध्याय–64)

42. कौरवों के सैनिकों का मूर्छित हो जाना। भीष्म का यह कहना कि वे अपने गृह को लौट जाएं।–(वही, अध्याय–66)

43. कौरव सैनिक अभय से अर्जुन के समक्ष आत्म समर्पण करते हुए। उत्तर और अर्जुन विराट नगरी लौट आते हैं।–(वही, अध्याय–67)

44. विराट अपनी राजधानी में प्रवेश करता है तथा राजा प्रजा उसका सम्मान करती है।–(वही, अध्याय–68)

45. पांडव सम्राट की सभा में प्रवेश करते हैं।–(वही, अध्याय–69)

46. अर्जुन अपने भाइयों का परिचय विराट से करवाता है।–(वही, अध्याय–71)

47. अर्जुन के पुत्र और विराट की पुत्री का विवाह।–(वही, अध्याय–72)

48. उसके बाद पांडव विराट नगरी को छोड़ देते हैं और वे उपप्लव नगरी में रहने लगते हैं।–(वही, अध्याय–72)

49. इसके बाद अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु, वासुदेव और यादव को अनृत देश से लाता है।–(वही, अध्याय–72)

50. युधिष्ठर के मित्र सम्राट काशिराज और शल्य दो अक्षौहिणी सेनाओं के साथ आते हैं। इसी प्रकार यज्ञसेन द्रुपदराज एक अक्षौहिणी सेना के साथ आता है। द्रौपदी के सभी पुत्र अजिक्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न भी आ गए।–(वही, अध्याय–72)

उद्योग पर्व

1. अभिमन्यु के विवाह के बाद यादव तथा पांडव सम्राट विराट की सभा में एकत्र हुए। कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं कि भविष्य में क्या करना है। हमें वही करना चाहिए जो कौरवों और पांडवों, दोनों के ही हित में हो। धर्म कुछ भी स्वीकार कर सकता है। यहां तक कि एक गांव भी धर्म स्वीकार कर सकता है। यदि उसे दुर्योधन का पूरा साम्राज्य भी दिया जाए तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। अभी तक पांडवों ने नीति का पालन किया है। परंतु यदि कौरव अनीति का पालन करते हैं, तो पांडवों को कौरवों का नाश करने में कोई हिचक नहीं होगी। किसी को भी इस तथ्य से भयभीत नहीं होना चाहिए कि पांडव अल्पसंख्यक है। उनके मित्र हैं जो उनकी सहायता करने आ जाएंगे। हमें कौरवों की इच्छा का पता करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमें दुर्योधन के पास एक संदेशवाहक भेजना चाहिए और उससे यह कहा जाए कि वह अपने साम्राज्य का एक भाग पांडवों को दे दे।–(उद्योग पर्व, अध्याय–1)

2. बलराम कृष्ण के सुझाव का समर्थन करता है, परंतु आगे कहता है कि यह धर्म की भूल थी, जब कि वह जानता था कि वह शकुनि के हाथों से पराजित हो रहा है। इसलिए कौरवों के साथ युद्ध न करके यह ठीक होगा कि संधि–वार्ता से जो कुछ भी मिले, उसे प्राप्त करना चाहिए।–(वही, अध्याय–2)

3. सात्यकी उठ खड़े हुए और उन्होंने बलराम की प्रवृत्ति की भर्त्सना की।–(वही, अध्याय–3)

4. द्रुपद ने सात्यकी का समर्थन किया। द्रुपद इस

बात पर सहमत हो गए कि वह अपने पुरोहित को संदेशवाहक के रूप में भेजेंगे।–(वही, अध्याय–4)

5. कृष्ण ने द्रुपद का समर्थन किया और वह द्वारका चले जाते हैं। द्रुपद और विराट द्वारा आमंत्रित सभी सम्राट आ पहुंचते हैं। इसी प्रकार दुर्योधन द्वारा जिन सम्राटों को आमंत्रित किया गया, वे भी पहुंचते हैं। इसी प्रकार दुर्योधन द्वारा जिन सम्राटों को आमंत्रित किया गया, वे भी पहुंच गए।–(वही, अध्याय–5)

6. द्रुपद अपने पुरोहित को निर्देश देता है कि उसे सभा में किस प्रकार बोलना हैं तथा इस मामले को सुलझाना हैं।–(वही, अध्याय–6)

7. अर्जुन और दुर्योधन, दोनों ही द्वारका जाते हैं तथा युद्ध के लिए उनसे सहायता की याचना करते हैं। उसने कहा कि वह उन दोनों की सहायता करेगा। मैं एक को अपनी सेना दे सकता हूं और दूसरे के साथ अकेला रह सकता हूं। आप यह चुनें कि आपको क्या चाहिए। दुर्योधन ने सेना को चुना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना।–(वही, अध्याय–7)

8. शल्य का बृहद् सेना के साथ पांडवों के पास आना। दुर्योधन उसे निम्न वर्ग का मानता है। शल्य और पांडवों की बैठक। पांडव शल्य से निवेदन करते हैं कि युद्ध में कर्ण को हतोत्साह किया जाए। शल्य के साथ समझौता।–(वही, अध्याय–8)

9. अध्याय 9–असंगत।

10. अध्याय 10–असंगत।

11. अध्याय–11–असंगत।

12. अध्याय–12–असंगत।

13. अध्याय–13–असंगत।

14. अध्याय–14–असंगत।

15. अध्याय–15–असंगत।

16. अध्याय–16–असंगत।

17. अध्याय–17–असंगत।

18. अध्याय–18–असंगत।

19. सात्यकी अपनी सेना सहित पांडवों के पास आता है और भागदत्ता दुर्योधन के पास जाता है।–(वही, अध्याय–19)

20. द्रुपद का पुरोहित कौरवों की सभा में प्रवेश करता है। पुरोहित ने कहा कि पांडव कौरवों के कुकृत्यों को भूल जाने के लिए तैयार हैं और उनके साथ संधि करना चाहते हैं। उसने बताया कि पांडवों के पास भारी सेना है फिर भी वे संधि करना चाहते हैं।–(वही, अध्याय–20)

21. भीष्म पुरोहित का समर्थन करता है। कर्ण आपत्ति करता है। भीष्म और कर्ण के बीच वाद–विवाद। धृतराष्ट्र सुझाव देता है कि संजय को उनकी ओर से समझौता करने के लिए भेजा जाए।–(वही, अध्याय–21)

22. धृतराष्ट्र संजय को पांडवों के पास भेजता है और उससे कहता है कि इस अवसर पर जो भी उचित समझो, वही कहो जिससे दोनों के बीच शत्रुता न बढ़े।–(वही, अध्याय–22)

23. संजय का पाडवों के पास जाना।–(वही, अध्याय–23)

24. संजय और युधिष्ठिर के बीच बातची।–(वही, अध्याय–24)

25. संजय युद्ध की निंदा करता है।–(वही, अध्याय–25)

26. धर्म का कहना है, 'मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं, यदि कौरव हमारे इंद्रप्रस्थ साम्राज्य को हमें वापस कर दें।–(वही, अध्याय–26)

27. गुरूजन का वध करना और साम्राज्य को प्राप्त करना अधर्म हैं। यदि कौरव बिना युद्ध के किसी साम्राज्य को वापस करने से इंकार करते हैं तो यह अच्छा रहेगा कि आप वृष्णि और अंधक के साम्राज्य में भिक्षा मांगकर जीवनयापन करें।–(वही, अध्याय–27)

28. इस अध्याय में कहा गया है कि क्या संजय उन्हें धर्म के विरूद्ध कार्य करने अथवा धर्म के विरूद्ध किए गए, कार्य का दोषी मानता है। संजय कहता है कि मैं स्वधर्म अथवा क्षमा को चाहता हूं।'–(वही, अध्याय–28)

29. कृष्ण संजय से कहते हैं कि युद्ध क्यों वैध है और संजय को बताते हैं कि वह धृतराष्ट्र को उनके विचारों से अवगत करा दें।–(वही, अध्याय–29)

30. संजय कौरवों के पास आता है और दुर्योधन को युद्ध करने के लिए कहता है। दुर्योधन को या तो इंद्रप्रस्थ पांडवों को वापस कर देना चाहिए अथवा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।–(वही, अध्याय–30)

31. संजय दुर्योधन से कहता है कि वह स्वयं जीवित रहे और उन्हें जीवित रहने दे। यदि वह इंद्रप्रस्थ वापस नहीं कर सकता तो उन्हें कम से कम पांच गांव दे देने चाहिए।–(वही, अध्याय–31)

32. संजय रात्रि में धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं प्रातः धर्म के संदेश को बताऊंगा।–(वही, अध्याय–32)

33. धृतराष्ट्र बेचैन होता है और उस संदेश के बारे में जानना चाहता है जो संजय लाया है। इसलिए वह संजय को शीघ्र बुलाता है। संजय उनका संदेश देता है और कहता है कि साम्राज्य का उनका भाग उन्हें देकर समझौता कर लिया जाए।–(वही, अध्याय–33)

34. धृतराष्ट्र विदुर को आमंत्रित करता है और उसका परामर्श मांगता है। उसका परामर्श यह है कि पांडवों को उनके साम्राज्य का भाग दे दिया जाए।–(वही, अध्याय–34)

35. अध्याय–35–असंगत।

36. असंगत। विदुर का कहना है कि दोनों पक्षों को मित्र होना चाहिए।–(वही, अध्याय–36)

37. अध्याय–37–असंगत।

38. अध्याय–38–असंगत।

39. धृतराष्ट्र विदुर से कहता है कि मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता, यद्यपि वह बुरा है।–(वही, अध्याय–39)

40. विदुर चातुर्वर्ण्य का वर्णन करता है।–(वही, अध्याय–40)

41. धृतराष्ट्र विदुर से बह्मा के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं शूद्र हूं। इसके बाद सनत सुजाता आता है।–(वही, अध्याय–42)

42. ब्रह्म विद्या के बारे में धृतराष्ट्र और सनत सुजाता में परस्पर वार्तालाप होता है।–(वही, अध्याय–42)

43. सनत सुजाता और धृतराष्ट्र के बीच एक ही विषय पर विचार–विमर्श किया जाता है।–(वही, अध्याय–43)

44. ब्रह्म विद्या पर सनत सुजाता के विचार।–(वही, अध्याय–44)

45. सनत सुजाता योग का उपदेश देता है।–(वही, अध्याय–45)

46. सनत सुजाता आत्मा के बारे में बताता है।–(वही, अध्याय–46)

47. कौरव संजय द्वारा लाए गए संदेश को सुनने के लिए सभा में आते हैं। –(वही, अध्याय–47)

48. संजय संदेश सुनाता है। (संदेश का, विशेषकर वह अंश, जो अर्जुन ने कहा था)।–(वही, अध्याय–48)

49. भीष्म द्वारा कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा। कर्ण क्रोधित हो उठता है। द्रोण भीष्म का समर्थन करता है और समझौता करने का परामर्श देता है।–(वही, अध्याय–49)

50. धृतराष्ट्र संजय से मालूम करता है कि पांडवों और उनके कौन–कौन मित्र हैं तथा उनकी कितनी शक्ति हैं? संजय उलाहना देता है तथा उत्तर देता है–(वही, अध्याय–50)

51. धृतराष्ट्र भीष्म के पराक्रम का विचार करता है और चिंतित होता है।–(वही, अध्याय–51)

52. धृतराष्ट्र अर्जुन के पराक्रम का विचार करता है और चिंतित होता है।–(वही, अध्याय–52)

53. धृतराष्ट्र धर्म और उसके मित्रों के पराक्रम का विचार करता है। वह अपने पुत्रों से कहता है कि वे पांडवों के साथ संधि कर लें।–(वही, अध्याय–53)

54. संजय, कौरवों की पराजय की भविष्यवाणी करता है।–(वही, अध्याय–54)

55. दुर्योधन कहता है कि पांडव हमें पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सैन्य–बल अधिक है।–(वही, अध्याय–55)

56. संजय पांडवों द्वारा सेना की सुव्यवस्था का वर्णन करता है।–(वही, अध्याय–56)

57. संजय यह बताता है कि पांडवों ने कौरवों के योद्धाओं को मौत के घाट उतारने की किस प्रकार की योजना तैयार की है। दुर्योधन कहता है कि वह पांडवों से भयभीत नहीं है कि वे कौरवों को पराजित कर देगें। कौरवों के पास अधिक सेना है।–(वही, अध्याय–57)

58. धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहता है कि वह युद्ध न करे। दुर्योधन शपथ लेता है कि वह युद्ध से विमुख न होगा। धृतराष्ट्र रो पड़ता है।–(वही, अध्याय–58)

59. धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि वह उसे बताए कि कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या वार्तालाप हुआ?–(वही, अध्याय–59)

60. धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बताया कि देवता पांडवों की सहायता करेंगे और कौरवों का विनाश कर देंगे।–(वही, अध्याय–60)

61. दुर्योधन कहता है कि वह इससे भयभीत नहीं है।–(वही, अध्याय–61)

62. कर्ण कहता है कि वह स्वयं अर्जुन का वध करने में सक्षम है।–(वही, अध्याय–62)

63. दुर्योधन कहता है कि वह कर्ण पर निर्भर होकर युद्ध कर रहा है और उसे भीष्म, द्रोण आदि पर उतना विश्वास नहीं है।–(वही, अध्याय–63)

64. विदुर दुर्योधन से कहता है कि शत्रुता त्याग दे।(वही, अध्याय–64)

65. धृतराष्ट्र दुर्योधन की भर्त्सना करता है।–(वही, अध्याय–65)

66. संजय अर्जुन का संदेश धृतराष्ट्र को बताता है।–(वही, अध्याय–66)

67. जो सम्राट कौरवों के सभागार में एकत्र हुए थे, वे अपने–अपने गृहों को लौट गए। व्यास और गांधारी विदुर के साथ आते हैं। व्यास ने संजय से कहा कि वह धृतराष्ट्र को वह सभी बताए, जो उसे कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और अर्जुन के बारे में ज्ञात है।–(वही, अध्याय–67)

68. संजय धृतराष्ट्र को कृष्ण के बारे में बताते हैं।–(वही, अध्याय–68)

69. धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहता है कि वह कृष्ण के आगे आत्म–समर्पण कर दे। दुर्योधन इंकार करता है। गांधारी दुर्योधन से अपशब्द कहती है।–(वही, अध्याय–769)

70. कृष्ण के अलग–अलग नाम और उनका मूल।–(वही, अध्याय–70)

71. धृतराष्ट्र कृष्ण को समर्पित हो जाता है।–(वही, अध्याय–71)

72. युधिष्ठिर और कृष्ण में संवाद। युधिष्ठिर बताता है कि संजय ने उससे कहा है कि धृतराष्ट्र पर विश्वास न किया जाए। युधिष्ठिर संपत्ति के महत्व पर बल देता है। क्षात्रधर्म के बारे में बताता है तथा उसके पालन की आवश्यकता पर बल देता है। कृष्ण स्वयं कौरवों के पास जाने का सुझाव देता है। युधिष्ठिर को वह विचार अच्छा नहीं लगता, परंतु वह यह कहता है कि कृष्ण जो कहते हैं, वही सर्वोत्तम है।–(वही, अध्याय–72)

73. कृष्ण धर्म को वह रहस्य बताते हैं, जो उनके मन में है। कृष्ण धर्म से कहते हैं कि कौरवों के साथ मधुर वचन कहने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे अन्य कई कारण है कि आपको कौरवों के साथ समझौता क्यों नहीं करना चाहिए। इस बात पर बल देना है कि कौरवों ने द्रौपदी को कितना अपमानित किया? इसलिए हे धर्म! उनको मारने में न हिचकिचाओ।–(वही, अध्याय–73)

74. भीम कृष्ण से कहता है कि कौरवों के साथ सौहार्द्र से बातचीत की जाए।–(वही, अध्याय–74)

75. कृष्ण भीम का उपहास करते हैं।–(वही, अध्याय–75)

76. भीम युद्ध करने के लिए अपना मन पक्का कर लेते हैं।–(वही, अध्याय–76)

77. कृष्ण भीम को दैव और पौरूष का अंतर समझाते हैं।–(वही, अध्याय–77)

78. अर्जुन कृष्ण से होता है कि 'क्षमा' अर्थात युद्ध न करने पर विचार किया जाए।–(वही, अध्याय–78)

79. कृष्ण का अर्जुन से संवाद। मैं शांति के समझौते के लिए प्रयत्न करूंगा। यदि वह समझौता संभव नहीं हो तो युद्ध करने के लिए तैयार रहना। मैं दुर्योधन को धर्म की सहमति के बारे में नहीं बताऊंगा कि वह पांच गांव स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।–(वही, अध्याय–79)

80. नकुल कृष्ण से कहता है, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही

किया जाए।–(वही, अध्याय–80)

81. सहदेव कृष्ण से मिलता है तथा कहता है कि कौरवों के साथ युद्ध किया जाए। सत्यकी ने कहा कि यहां जितने भी योद्धा एकत्र हुए हैं, वे सभी सहदेव के विचार से सहमत हैं।–(वही, अध्याय–81)

82. द्रौपदी कृष्ण से भेंट करती है और उन्हें बताती है कि वह तब तक संतुष्ट नहीं होगा, जब तक दुर्योधन का विनाश नहीं हो जाता। कृष्ण उसे आश्वासन देते हैं।–(वही, अध्याय–82)

83. अर्जुन और कृष्ण के बीच अंतिम बैठक होती है। अर्जुन क्षमा, अर्थात शांति के लिए भरसक प्रयत्न करता है। युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं कि कुंती को आश्वासन दिया जाए। कृष्ण अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जाते हैं।–(वही, अध्याय–83)

84. कृष्ण जब हस्तिनापुर जाते हैं, तो मार्ग में उन्हें अच्छे और बुरे शकुन होते दिखाई पड़ते हैं।–(वही, अध्याय–84)

85. दुर्योधन कृष्ण के लिए हस्तिनापुर की यात्रा में स्थान–स्थान पर विश्रामालय बनवाते हैं।–(वही, अध्याय–85)

86. धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि कृष्ण को कौन–कौन से उपहार दिए जाएं।–(वही, अध्याय–86)

87. विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि वह कृष्ण को पांडवों से अलग नहीं मानते।–(वही, अध्याय–87)

88. दुर्योधन का कहना है कि कृष्ण पूज्य हैं। परन्तु यह समय नहीं है कि उनकी पूजा की जाए। भीष्म दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों के साथ समझौता कर लिया जाए। दुर्योधन की इच्छा कृष्ण से साक्षात्कार करने की है। भीष्म दुर्योधन का घोर विरोध करता है।–(वही, अध्याय–88)

89. कृष्ण हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र से भेंट। वे विदुर के यहां ठहरते हैं।–(वही, अध्याय–89)

90. कुंती और कृष्ण की भेंट। कुंती अपने दुख से आहत हैं, कृष्ण उसको सांत्वना देते हैं। कुंती कृष्ण से कहती हैंः (1) मेरे पुत्रों से कहो कि वे अपने साम्राज्य के लिए युद्ध करें। (2) मैं द्रौपदी के लिए दुखी हूं।–(वही, अध्याय–90)

91. कौरव कृष्ण को भोजन करने के लिए बुलाते हैं। कृष्ण इंकार कर देते हैं। कृष्ण विदुर के साथ भोजन करते हैं।

92. विदुर कृष्ण से कहता है कि वह नहीं चाहता कि कृष्ण कौरवों के बीच जाएं।–(वही, अध्याय–92)

93. कृष्ण विदुर को बताते हैं कि कौरव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं केवल यहां इसलिए आया हूं क्योंकि क्षमा, अर्थात शांति पुण्यकार्य है।–(वही, अध्याय–93)

94. कृष्ण कौरवों के सभागार में प्रवेश करते हैं।–(वही, अध्याय–94)

95. कृष्ण सभा को संबोधित करते हैं। उन्होंने कौरवों से कहा कि पांडव शांति और युद्ध, दोनों के लिए ही तैयार हैं। उन्हें उनका आधा साम्राज्य दे दिया जाए।–(वही, अध्याय–95)

96. जामदग्नि दंभ के विरोध में एक कहानी कहता है।–(वही, अध्याय–96)

97. मातलि आख्यान। (वही, अध्याय–97–105)

98. नारद का दुर्योधन को परामर्श।–(वही, अध्याय–106)

99. गाल्व आख्यान।–(वही, अध्याय–106–123)

100. धृतराष्ट्र कृष्ण से कहता है कि वह दुर्योधन को परामर्श दे।–(वही, अध्याय–124)

101. भीष्म का दुर्योधन को परामर्श। द्रोण का समर्थन। विदुर दुर्योधन की भर्त्सना करते हैं। धृतराष्ट्र का परामर्श।–(वही, अध्याय–125)

102. भीष्म और द्रोण दूसरी बार दुर्योधन को समझाते हैं।–(वही, अध्याय–126)

103. दुर्योधन यह घोषणा करता है कि पांडवों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा।–(वही, अध्याय–127)

104. कृष्ण दुर्योधन की भर्त्सना करते हैं। दुर्योधन सभा त्याग देता है। दुःशासन का भाषण। कृष्ण भीष्म को चेतावनी देते हैं।–(वही, अध्याय–128)

104. धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि गांधारी को सभागार में लाया जाए। दुर्योधन वापस आता है। गांधारी उससे कहती हैं कि साम्राज्य का आधा भाग पांडवों को दिया जाए।–(वही, अध्याय–129)

104. दुर्योधन सभा का त्याग करता है। उसका इरादा है कि कृष्ण का वध कर दिया जाए। सात्यकि धृतराष्ट्र को इस गुप्त कुचक्र की सूचना देता है। कृष्ण का भाषण। धृतराष्ट्र दुर्योधन को सभा में फिर बुलाता है, उसे चेतावनी देता है। विदुर द्वारा भर्त्सना।–(वही, अध्याय–130)

105. भगवान का विश्व रूप दर्शन, धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। कृष्ण सभा छोड़ देते हैं और कुंती के पास जाते हैं।–(वही, अध्याय–131)

106. कृष्ण कुंती से कहते हैं कि सभा में क्या–क्या हुआ। कुंती कृष्ण से कहती है कि क्षत्रियों के लिए युद्ध अनिवार्य है। इससे बढ़ कर और कोई धर्म नहीं है।–(वही, अध्याय–132)

107. कुंती अपने मत को पुष्ट करने के लिए कृष्ण से विदुला की कहानी कहती है।–(वही, अध्याय–133)

108. विदुला की कहानी।–(वही, अध्याय–134)

109. विदुला की कहानी।–(वही, अध्याय–135)

110. विदुला की कहानी।–(वही, अध्याय–136)

111. कुंती की अपने पुत्रों को सलाह। कृष्ण का कर्ण को परामर्श और कृष्ण का उपप्लव्य नगरी के लिए प्रस्थान।–(वही, अध्याय–137)

112. भीष्म और द्रोण द्वारा दुर्योधन को परामर्श।–(वही, अध्याय–138)

113. भीष्म का दुख। द्रोण फिर दुर्योधन को परामर्श देता है।–(वही, अध्याय–139)

114. धृतराष्ट्र और संजय के मध्य वार्तालाप। कर्ण को कृष्ण परामर्श देता है।–(वही, अध्याय–140)

115. कर्ण का कृष्ण को उत्तर।–(वही, अध्याय–141)

116. कृष्ण का कर्ण को आश्वासन, पांडवों की विजय होगी।–(वही, अध्याय–142)

117. कर्ण को अपशकुन होते हैं। पांडवों को समाप्त करने का उसका दृढ़ निश्चय। उसका गृह को प्रस्थान।–(वही, अध्याय–143)

118. विदुर और पृथु के मध्य वार्तालाप। उसे पता चलता है कि दुर्योधन युद्ध करने के लिए दृढ़ है। कुंती का दुख। कर्ण को उसके मूल के बारे में बताने की इच्छा। कुंती नदी के किनारे जाती है।–(वही, अध्याय–144)

119. कुंती कर्ण से भेंट करती है। वह कर्ण को उसके मूल के बारे में बताती है तथा उससे निवेदन करती है कि वह पांडवों के साथ हो जाए।–(वही, अध्याय–145)

120. सूर्य कुंती से प्रस्ताव का सर्मथन करता है। कर्ण उसको अस्वीकार कर देता है अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को बचाने का वचन देता है।–(वही, अध्याय–146)

121. कृष्ण पांडवों के पास जाते हैं। युधिष्ठिर पूछता है कि कौरव–सभा में क्या–क्या हुआ।(वही, अध्याय–147)

122. कृष्ण पूरी कहानी सुनाता है।–(वही, अध्याय–147, 148, 149, 150)

123. पांडवों की सेना के सेनापति की नियुक्ति। कुरूक्षेत्र में पांडवों की सेना का प्रवेश।–(वही, अध्याय–151)

124. सेना को रसद पहुंचाने के लिए पांडवों की व्यवस्था के विवरण।–(वही, अध्याय–152)

125. कौरवों की ओर प्रबंध। हमारी सेना को कल प्रातः ही कुरूक्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।–(वही, अध्याय–153)

126. धर्म को यह भय है कि वह युद्ध करने के लिए गया तो वह अपने नैतिक औचित्य से गिर जाएगा। कृष्ण ने उसे संतुष्ट किया। अर्जुन ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए।–(वही, अध्याय–154)

127. दुर्योधन की सेना का विवरण।–(वही, अध्याय–155)

128. भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया।–(वही, अध्याय–156)

कर्ण इससे नाराज होते हैं। वह निर्णय करता है कि भीष्म की मृत्यु होने तक वह कौरव सेना की बागडोर नहीं सम्भालेगा।

129. कृष्ण पांडवों की सेना के सेनापति बन जाते हैं।–(वही, अध्याय–157)

130. बलराम तीर्थयात्रा पर यह कहकर चले जाते हैं कि मैं कौरवों को नष्ट होते नहीं देखना चाहता।

131. रूक्मिणी को न जो अर्जुन चाहता है और न दुर्योधन चाहता है अतः वह घर चली जाती है।–(वही, अध्याय–158)

132. संजय और धृतराष्ट्र के बीच वार्तालाप। वह धृतराष्ट्र को दोषी ठहराता है।–(वही, अध्याय–159)

133. पांडवों की सेना हिरण्यवती नहीं के किनारे ठहरी हुई है। दुर्योधन पांडवों को आक्रमण के लिए ललकारता है और कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम युद्ध कर सकते हो तो युद्ध करो।–(वही, अध्याय–160)

134. उल्का संदेश लेकर जाता है।–(वही, अध्याय–164)

135. क्रोधित पांडव गुस्से से भरे संदेश भेजते हैं। वे कल से युद्ध आरंभ करने का आदेश देते हैं।–(वही, अध्याय–162)

साभार :
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–7, पेज संख्या 278 से 291 तक
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के कुछ प्रेरक विचार ....

तमन्ना सच्ची है, तो रास्ते मिल जाते हैं।
तमन्ना झूठी है, तो बहाने मिल जाते हैं।।
जिसकी जरूरत है रास्ते उसी को खोजने होंगे।
निर्धनों का धन उनका अपना संगठन है।

चाहने वालों की चाहत को पूरा करने के लिए, चाहने वालों को ही साधन खोजने होंगे। छोटे साधन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान काम है, परन्तु बहुजन समाज बनाना मुश्किल काम है। मैं इस मुश्किल काम को अंजाम देने में लगा हूँ, मैंने मांगने वाले लोगों में देने की आदत डाल दी है।

अकेले एक जाति का संगठन बनाकर, उस जाति के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती बल्कि छः हजार जातियों में तोड़े गये लोगों को जोड़कर भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज बनाकर सभी जातियों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

15 मार्च
मान्य. कांशीराम के जन्म दिन के महान अवसर पर उन्हे
हार्दिक श्रृद्धांजलि

श्रीमती
उमेश्वरी देवी
पूर्व ग्राम प्रधान/सम्पादक
द्रविड़ भारत

मा. रामदीन अहिरवार
पूर्व ग्राम प्रधान/पूर्व जेल विजिटर
उ.प्र. शासन

रोजगार मेला

11 मार्च, 2022
प्रातः10:00 बजे से

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

आयोजनकर्ताः
राज कुमार, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी,
राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय

कार्यक्रम स्थलः राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र,
प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर,
विकलांग भवन, जी0टी0रोड, कानपुर
दूरभाषः 0512-2970822, 7988193472

नोटः इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा सम्बन्धित दस्तावेज के साथ केन्द्र में प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः **10:00** से सायं **05:00** तक जमा करें।

मंत्रिमंडल शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) तथा अछूत

मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अछूतों की उपेक्षा कैसे की?

I

मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपने 10 मई के बयान में भारत में राजनीतिक गतिरोध के समाधन के लिए अंतरिम तथा दीर्घकालीन प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उनके प्रस्तावों का सबसे अधिक कष्टदायी तथा विस्मयकारक पहलू अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक तथा अलग घटक के रूप में मानने से इंकार करना था। आयोग ने अछूतों की इतनी अधिक पूर्णतया उपेक्षा की है कि उन्होंने अपने लम्बे वक्तव्य में उनका एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। मंत्रिमंडलीय आयोग ने अछूतों की किस हद तक उपेक्षा की है, यह बात निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगी :–

(i) अछूतों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे सिखों तथा मुसलमानों की तरह अपने प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कार्यपालिका में मनोनीत कर सकें। वर्तमान अंतरिम सरकार में, उनके पास अनुसूचित जातियों के दो प्रतिनिधि हैं, उनमें से एक की भी अनुसूचित जातियों के प्रति कोई निष्ठा या दायित्व नहीं है। उनमें से एक कांग्रेस द्वारा नामित है तथा दूसरा मुस्लिम लीग द्वारा नामित है।

(ii) अंतरिम सरकार में अछूतों को प्रतिनिधित्व एक निश्चित कोटा में नहीं दिया गया जैसा कि मुसलमानों को दिया गया है। 1945 की शिमला कांफ्रेंस में इस बात पर सहमति हुई थी कि चौदह व्यक्तियों के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों के कम से कम दो सदस्य होने चाहिए। 1945 तथा 1946 के बीच व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण है, यह मालूम नहीं।

(iii) उनको संविधान सभा में पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है।

II

मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) का निर्णय महामहिम की सरकार की स्थापित नीति से दूर कैसे आया?

2. मंत्रिमंडलीय आयोग के निर्णय ने अछूतों के प्रति केवल एक गंभीर गलती ही नहीं की बल्कि यह उन सिद्धान्तों से भी दूर चला गया जो महामहिम की सरकार का भारतीय राजनीति के सम्बंध में तथा अछूतों की स्थिति के सम्बंध में मार्ग–निर्देशन करते थे।

(i) 1920 से पहले, भारत के शासन में संवैधानिक परिवर्तन ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार से तथा अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार किए थे। 1920 में ही पहली बार वह अवसर आया था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का संविधान भारतीयों के साथ परामर्श करके बनाने का निर्णय किया। तदनुसार एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलाई गई, जिसमें भारतीयों को आमंत्रित किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों में अछूतों के प्रतिनिधि थे जिन्हें कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से पृथक तथा स्वतंत्र रूप में, अलग से, आमंत्रित किया गया था।

(ii) गोलमेज कांफ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री गांधी ने, भारत के राष्ट्रीय जीवन में अछूतों को एक पृथक व अलग घटक/अंग के रूप में मान्यता देने का विरोध किया और यह दावा किया कि वे हिन्दुओं का भाग हैं और इसलिए वे पृथक प्रतिनिधित्व के हकदार नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपने परिनिर्णय द्वारा यह माना कि अछूत भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक/अंग हैं और इसलिए वे उन्हीं सुरक्षा उपायों के हकदार हैं जिस प्रकार भारत के अन्य अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान तथा भारतीय इसाई आदि है।

(iii) ब्रिटिश सरकार, जून, 1945 में हुई शिमला कांफ्रेंस में इस सिद्धांत पर जमी रही। उस कांफ्रेंस में आमंत्रित भारतीयों में एक प्रतिनिधि अछूतों का था जिसे कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से अलग तथा स्वतंत्र रूप में आमंत्रित किया गया था।

(iv) यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा में, जो 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों का एक भाग थी, अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए मंत्रिमंडलीय आयोग के वर्तमान प्रस्तावों में कोई अंतर नहीं किया गया। इसका उत्तर यह है कि उनमें अंतर किया गया है। 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में, यह बात नहीं है कि अकेले अछूतों को ही पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तथ्य यह है कि संविधान सभा में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। परन्तु, मंत्रिमंडलीय आयोग की संविधान सभा के गठन में मुसलमानों तथा सिखों को पृथक मान्यता तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जिसे अछूतों के लिए नकार दिया गया है। इस भेदभाव के कारण व इस गलती के कारण ही अछूत शिकायत कर रहे हैं।

3. इस प्रकार, मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रस्तावों की असमानता इस तथ्य में निहित है कि यह अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक के रूप में मान्यता देने की नीति से अलग हट गया है और उनको पृथक मान्यता न देकर उनके साथ भेदभाव करता है जबकि मुसलमानों तथा सिखों को पृथक वर्ग के रूप में मान्यता देता है।

महामहिम की सरकार द्वारा अछूतों को दिए गए वचनों को मंत्रिमंडलीय आयोग के निर्णय किस प्रकार रद्द कर देते हैं?

4. मंत्रिमंडलीय आयोग द्वारा अछूतों को एक पृथक घटक के रूप में मान्यता न देना उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा उसकी ओर से दिए गए वचनों के प्रतिकूल है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय वचन नीचे दिए जा रहे हैं –

(i) ''भारत की एकता के हित में, किसी संवैधानिक योजना में भारतीय रियासतों के शामिल करने की अनिवार्य आवश्यकता को हमें भूलना नहीं चाहिए।

मैं उनमें से केवल दो का – मुस्लिम अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जातियों का उल्लेख करना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों को विगत समय में दी गई कुछ गारंटियां हैं, यह तथ्य है कि उनकी स्थिति की रक्षा की जानी चाहिए और उनको दी गई गारंटियों का सम्मान किया जाना चाहिए।

लार्ड लिनलिथगो द्वारा 10 जनवरी, 1940 को ओरिएंट क्लब, बम्बई में दिए गए भाषण में उद्धरण।

(ii) ''ये दो मुख्य बातें हैं जो प्रकट हुई हैं। इन दो बातों के सम्बंध में महामहिम की सरकार अब मुझसे यह चाहती है कि मैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करूं। पहली बात किसी संवैधानिक योजना के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति के सम्बंध में हैं.....। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह (महामहिम की सरकार) भारत की शांति तथा कल्याण के लिए अपने उत्तरदायित्व को किसी ऐसी शासन प्रणाली को हस्तांतरित करने का विचार नहीं कर सकती जिसके प्राधिकार व सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन में बड़े तथा शक्तिशाली घटकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया जाए, वह ऐसी सरकार के प्रति समर्पण करने के लिए भी ऐसे घटकों पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती।''

लार्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त, 1940 को दिये गये भाषण से उद्धरण।

''कांग्रेस नेताओं ने ..... एक असाधारण संगठन, भारत में एक सबसे कुशल राजनीतिक तंत्र, का निर्माण किया है। काश, केवल उनको सफलता मिल जाती....। यदि कांग्रेस वास्तव में भारत के राष्ट्रीय जीवन में सभी मुख्य घटकों/अंगों के लिए बोल सकती, जैसा कि वह बोलने का दावा करती है, तब उनकी मांगें चाहे जितनी बड़ी होतीं, तब भी हमारी समस्या अनेक प्रकार से आज की अपेक्षा बहुत आसान हो जाती। यह सच है कि ब्रिटिश भारत में वह (कांग्रेस) संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अकेला दल है, परन्तु समस्त भारत के लिए बोलने के उसके दावे की वास्तविकता को भारत के जटिल राष्ट्रीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों द्वारा पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है। ये अन्य लोग केवल स्वयं को संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक मानने के अपने अधिकार पर ही जोर नहीं देते बल्कि वे भारत की किसी भी भावी नीति में पृथक घटक के रूप में माने जाने का दावा भी करते हैं। इन घटकों में प्रमुख मुस्लिम समुदाय है। भौगोलिक निर्वाचन–क्षेत्रों में बहुमत द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान से उनका कोई मतलब नहीं। वे यह दावा करते हैं कि किसी भी संवैधानिक विचार विमर्श में, बहुमत की कार्यवाही के विरूद्ध उनके अधिकार को एक अलग अस्तित्व के रूप में माना जाए। यही बात उस बड़े घटक पर लागू होती है जिसे अनुसूचित जातियों के रूप में जाना जाता है। उसकी ओर से श्री गांधी के महत्वपूर्ण प्रयास के बावजूद, ये लोग यह महसूस करते हैं कि एक समुदाय के रूप में वे हिन्दू समुदाय से, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, बाहर हैं।''

–माननीय श्री एल.एस. एमरी, सेक्रेट्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द्वारा 14 अगस्त, 1940 को हाउस ऑफ कामन्स में दिए गए भाषण से उद्धरण।

''इन समस्त कारणों को विस्तृत रूप में दोहराए बिना, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि महामहिम की सरकार ने उस समय यह स्पष्ट किया था:–

(क) युद्ध के बाद सम्पूर्ण स्वतंत्रता का उनका प्रस्ताव एक ऐसे संविधान के निर्माण पर सशर्त रखा गया था जिसे भारत के राष्ट्रीय जीवन के मुख्य घटकों द्वारा स्वीकार किया जाए तथा महामहिम की सरकार के साथ आवश्यक संधि व्यवस्था की बातचीत द्वारा स्वीकृत हो।

(ख) युद्ध के दौरान, संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन करना असंभव है, जिसका यह अभिप्राय हो कि केवल ऐसी 'राष्ट्रीय सरकार' ही जैसी आपने सुझाई है, केन्द्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी बनाई जा सकती है।

इन शर्तों का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि दलित वर्गों के तथा भारतीय रियासतों के प्रति संधि दायित्वों तथा जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करने के लिए कर्तव्य को पूरा करें।

लार्ड वेवल द्वारा श्री गांधी को 15 अगस्त, 1944 को लिखे गए पत्र से उद्धरण।

5. अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व न देने का मंत्रिमंडलीय आयोग का प्रस्ताव, सम्बंधित तथ्यों के ईमानदारी से परीक्षण करने के बाद उसका व्यक्तिगत व ईमानदार निर्णय पर पहुंचने पर परिणाम नहीं था। इसके विपरीत, आयोग ने जो कुछ किया है वह श्री गांधी के पूर्वाग्रह का समर्थन करना है। श्री गांधी, अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक के रूप में मान्यता देने के प्रबल विरोधी है। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में उनको पृथक मान्यता देने का विरोध किया। जब उन्हें यह पता चला कि उनके विरोध के बावजूद भी उनको श्री रेमजे मैक्डोनल्ड के साम्प्रदायिक परिनिर्णय द्वारा एक पृथक घटक के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो उन्होंने धमकी दी कि यदि अछूतों की पृथक मान्यता को वापिस न लिया गया तो आमरण अनशन कर दूंगा। फिर, 1945 में प्रथम शिमला सम्मेलन में श्री गांधी ने जब यह देखा कि महामहिम की सरकार ने अछूतों को पृथक मान्यता दे दी है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। मंत्रिमंडलीय आयोग अपने प्रस्तावों को सफल बनाने के लिए उत्सुक था। ऐसा उस समय तक संभव नहीं था जब तक उसको श्री गांधी की स्वीकृति न मिलती। श्री गांधी ने अपनी कीमत मांगी और आयोग ने वह दे दी। वह कीमत थी अछूतों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व का बलिदान करना। वास्तव में, इससे भी आगे जाकर यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रस्तावों का जहां तक अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बंध हैं, वे श्री गांधी के सूत्र का ही प्रतिरूप थे और कुछ नहीं, जिसके सम्बंध में उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की थी। श्री गांधी ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए वह केवल तीन समुदायों/सम्प्रदायों (1) हिन्दू, (2) मुसलमान तथा (3) सिखों को ही मान्यता देंगे। आयोग का सूत्र श्री गांधी के सूत्र की ही मात्र प्रतिलिपि है। इसका और अन्य स्पष्टीकरण नहीं है।

III

मंत्रिमंडलीय आयोग द्वारा अपने निर्णय के औचित्य में बताए गए आधार

6. अछूतों को एक पृथक घटक के रूप में न मानने के अपने निर्णय के औचित्य के लिए, मंत्रिमंडलीय आयोग ने प्रान्तीय विधान सभाओं के फरवरी, 1948 में हुए चुनावों के परिणामों पर निर्भर किया है। मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रस्तावों पर संसद में 18 जुलाई, 1948 को हुए वादविवाद के दौरान, आयोग के सदस्यों ने निम्नलिखित बातें प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं :–

(i) कि चुनाव में अछूतों के लिए आरक्षित सभी स्थानों को कांग्रेस ने जीता, इसलिए कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात की दृष्टि में, अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई औचित्य नहीं था।

(ii) कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का प्रभाव और मेरा अपना प्रभाव केवल बम्बई तथा मध्य प्रान्त तक ही सीमित था।

इन आधारों की निरर्थकता

7. ये नितांत असंगत तर्क हैं और निकट से तथा ईमानदारी से विचार करने पर ये खरे नहीं उतरेंगे। प्रारंभ में ही, मत्रिमंडलीय आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधि स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए चुनाव के परिणामों को एक आधार के रूप में अपनाने की भारी गलती की है। ऐसा करने में, आयोग ने निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा :–

(i) हिन्दू मतदाता तमाम युद्ध काल के दौरान, पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे और यद्यपि उन्होंने युद्ध में काम किया, परन्तु वह काम इच्छा से नहीं किया। कांग्रेस पार्टी, जो ब्रिटिश विरोधी थी और युद्ध–प्रयासों में असहयोगी रही थी, हिन्दू मतदाताओं की प्रीति–भाजन थी। अन्य दलों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, को चुनाव में इसलिए हानि हुई थी क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे औ युद्ध प्रयास में उन्होंने सहयोग किया था।

(ii) चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से ठीक पहले, वायसराय तथा कमांडर–इन–चीफ ने आई.एन.ए. के व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आई.एन.ए. के व्यक्तियों का पक्ष लिया और उसे चुनाव का मुद्दा बनाया। यह मुकदमा मुख्य कारक था जिसने कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाया, जिसकी अवनति हो रही थी।

(iii) जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, वह स्वतंत्रता तथा भारत छोड़ो था। भारत के भावी संविधान का स्वरूप कभी भी कोई मुद्दा नहीं था। यदि वह मुद्दा होता तो कांग्रेस को कभी भी वह बहुमत न मिलता जो उसने प्राप्त किया।

(iv) मंत्रिमंडलीय आयोग ने रिटर्निंग अफसरों तथा पोलिंग अफसरों के, जो कि सवर्ण हिन्दू थे, कांग्रेस का विरोध करने वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के विरोधी रवैये को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने उनके नॉमिनेशन पेपर (नामजदगी पर्चे) अस्वीकार कर दिए और उनको मतपत्र जारी करने से इंकार कर दिया। मंत्रिमंडलीय आयोग ने आतंकवाद तथा धमकी की उस मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जो अछूत मतदाताओं के पक्ष में मत देने के लिए तैयार नहीं थे। आगरा शहर में अछूतों के 40 घर जला दिए गए। बम्बई में एक अछूत की हत्या कर दी गई और सैंकड़ों गांवों में मुफस्सल अछूत मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक नहीं जाने दिया गया। नागपुर में, एक पुलिस अधिकारी कांग्रेस का इतना अधिक हिमायती हो गया कि उसने दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की अनुमति के बिना अछूत मतदाताओं को डराने के लिए अछूतों की एक भीड़ पर गोली चलाई। समस्त भारत में एक असंख्य मामले हुए।

8. यदि मंत्रिमंडलीय आयोग इन परिस्थितियों को ध्यान में रखता तो यह महसूस करता कि चुनावों में कांग्रेस को सफलता केवल लाभकारी परिस्थितियों के कारण मिली। ऐसी परिस्थिति में हुए चुनावों के परिणामों को संविधान सभा में अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व न देने के लिए औचित्य के रूप में नहीं मानना चाहिए था।

आयोग ने अपने निर्णय के लिए एक गलत मापदंड को कैसे अपनाया

9. आयोग द्वारा यह निर्णय करने के लिए कि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं, जो मापदंड अपनाया गया वह यह था कि अंतिम चुनाव में कांग्रेस द्वारा, अछूतों के लिए आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें जीती गईं। यह मापदंड एक झूठा व गलत मापदंड था क्योंकि अंतिम चुनावों के परिणाम, अछूतों के नियंत्रण से बाहर है। पूना पेक्ट के अधीन, चुनावों का निर्धारण हिन्दू मतों से होता है। आयोग द्वारा जिसे सच्चे मापदंड को अपनाया जाना चाहिए था वह इस बात का पता लगाना था कि अछूतों ने किस प्रकार मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में उनके द्वारा कितने मत डाले गए ओर कांग्रेस के विरोध में उनके कितने मत गए। इसका निर्णय केवल प्राथमिक चुनावों के परिणामों से किया जा सकता है अंतिम चुनावों के परिणामों से नहीं, क्योंकि प्राथमिक चुनाव में केवल अछूत ही मतदात करते हैं। यदि प्राथमिक चुनावों के परिणामों को आधार माना जाए तो मंत्रिमंडलीय आयोग का निर्णय हास्यास्पद व निरर्थक था और तथ्यों के प्रतिकूल था क्योंकि प्राथमिक चुनावों में पड़े केवल 28 प्रतिशत मत ही कांग्रेस के पक्ष में तथा 72 प्रतिशत विरोध में डाले गए थे।

10. यह कहा जाता है कि यदि अछूत यह महसूस करते थे कि वे कांग्रेस में नहीं हैं तो उन्हें अपने लिए आरक्षित 151 सीटों में से प्रत्येक सीट के लिए प्राथमिक चुनाव कराना चाहिए था। वास्तव में, प्राथमिक चुनाव समस्त भारत में केवल 43 सीटों के लिए थे। अछूतों ने शेष 108 सीटों के लिए प्राथमिक चुनाव के लिए जोर क्यों नहीं दिया? यह तर्क निम्नलिखित बातों के कारण निरर्थक हैं –

(i) प्राथमिक चुनाव अनिवार्य नहीं होता, यह केवल उसी स्थिति में अनिवार्य होता है जब एक सीट के लिए लड़ने वाले चार से अधिक उम्मीदवार हों। यह महसूस नहीं किया गया है कि जो व्यक्ति प्राथमिक चुनाव के लिए खड़ा होता है उसके लिए अंतिम चुनाव के लिए खड़ा होना भी आवश्यक होता है। अछूतों के लिए दोहरे चुनाव के खर्च के भार को वहन करने की अक्षमता के कारण, प्राथमिक चुनाव के लिए अछूत समुदायों के सदस्यों को खड़ा करना बहुत कठिन होता है। इस तथ्य को कि केवल 43 सीटों के लिए ही चुनाव हुए, इस निष्कर्ष का आधार नहीं बनाया जा सकता कि अछूत कांग्रेस से पृथक होने का दावा नहीं करते।

(ii) कांग्रेस से ही यह पूछा जाना चाहिए कि उसने प्राथमिक चुनावों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चार उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए। क्योंकि यदि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, तो उसे प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस टिकट पर चार उम्मीदवारों से अधिक उम्मीदवार खड़े करने चाहिए थे और 151 चुनाव क्षेत्रों में से प्रत्येक में प्राथमिक चुनाव कराने चाहिए थे और अंतिम चुनाव में आने से अन्य प्रत्येक दल को बाहर कर देना चाहिए था। कांग्रेस ने यह नहीं किया। इसके विपरीत, 43 प्राथमिक चुनावों में भी कांग्रेस ने प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार खड़ा किया क्योंकि उसका प्रथम चार के अंदर आने और हिन्दू मतों से अंतिम चुनाव में जीतने की कम संभावना थी। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस यह जानती थी कि अछूतों का कांग्रेस में विश्वास नहीं था।

(iii) केवल 1937 में ही अछूतों को पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला था और 1937 के बाद ही अछूतों ने अपने आपको चुनाव कराने के लिए संगठित करना शुरू किया था। कांग्रेस चुनावों में अनुसूचित जाति संघ से बढ़कर सिद्ध हुई, केवल इस बात से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत है कि अछूत कांग्रेस के साथ है। मंत्रिमंडलीय आयोग को चुनावों के परिणामों से अनुसूचित जाति संघ के विपरीत कोई निष्कर्ष निकालते समय चुनाव लड़ने में अनुसूचित जाति संघ तथा कांग्रेस की असमान शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए था।

मंत्रिमंडलीय आयोग द्वारा अपने निर्णयों के औचित्य में बताए गए अन्य आधारों की निरर्थकता

11. मंत्रिमंडलीय आयोग के सदस्यों ने तर्क दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन अनुसूचित जातियों में केवल बम्बई प्रेसिडेंसी तथा मध्य प्रान्त तक ही सीमित था। इस बयान का कोई आधार नहीं है। अनुसूचित जाति संघ अन्य प्रान्तों में भी कार्य कर रहा है और उसने उसमें उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। वह सफलता यदि अधिक बड़ी नहीं तो बम्बई तथा मध्य प्रांत के समान की बड़ी है। इस बयान को देते समय, आयोग ने उस एकाकी विजय को ध्यान में नहीं रखा है जो डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा के चुनाव में प्राप्त की थी। वह बंगाल प्रांत विधान सभा से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। जहां तक सामान्य सीटों का सम्बंध है, चुनाव में वह सबसे ऊपर रहे और कांग्रेस पार्टी के नेता, शरत चन्द्र बोस को भी हरा दिया। यदि डॉ. अम्बेडकर का बम्बई तथा मध्य प्रान्त से बाहर प्रभाव न होता, तो वह बंगाल से कैसे चुने जाते? इसके अतिरिक्त, यह भी याद रखना चाहिए कि प्रान्तीय सभा में 30 सीट हैं। 30 में से 28 पर कांग्रेस टिकट वाले उम्मीदवार चुने गए। जो दो उम्मीदवार उनके दल के थे उनमें से एक चुनाव के दिन बीमार पड़ गया। फिर भी, डा. अम्बेडकर चुनाव में शीर्ष पर रहे। यदि बंगाल के अनुसूचित जाति सदस्य जो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, उनके पक्ष में मत न देते तो यह नहीं हो सकता था। यह भी याद रखना चाहिए कि बंगाल में अनुसूचित जातियों का सम्बंध उस समुदाय की जाति से नहीं हैं जिससे डा. अम्बेडकर सम्बंधित हैं। इससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के वे सदस्य भी जिनका सम्बंध कांग्रेस से है, और जिनका सम्बंध उनके समुदाय/जाति से नहीं, उन्हें अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में मानते हैं।

12. मंत्रिमंडलीय आयोग के सदस्यों ने तर्क दिया कि संविधान सभा के गठन में एकरूपता को बनाए रखने के लिए अछूतों के मामले में उनको अंतिम चुनावों के परिणामों को अपनाना पड़ा, जैसा कि वे अन्य समुदायों/जातियों के मामले में कर चुके थे। यह तर्क एक विशेष प्रकार की वकालत करने का रूप है जिसमें कोई दम नहीं है। आयोग जानता था कि सिखों, मुसलमानों तथा भारतीय ईसाइयों का अंतिम चुनाव, पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा हुआ था। अनुसूचित जातियों का अंतिम चुनाव, पृथम निर्वाचकों द्वारा नहीं हुआ था। फलतः एकरूपता के लिए, आयोग को संविधान सभा में अछूतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्राथमिक चुनावों के परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए था। आयोग ऐसा करने के लिए बाध्य था क्योंकि वाद विवाद में स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यह स्वीकार किया था कि अछूतों के चुनाव की प्रणाली जो पूना समझौते द्वारा निर्धारित की गई थी, असमान थी। आयोग ने अपने निर्णय के लिए फिर उसे क्यों अपनाया?

IV

अछूतों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है?

13. मंत्रिमंडलीय आयोग में संविधान सभा के गठन द्वारा अछूतों को पूर्णतया उन सवर्ण हिन्दुओं की दया पर छोड़ दिया है जिनका इसमें पूर्ण बहुमत है। अछूत यह चाहते हैं कि महामहिम की सरकार साम्प्रदायिक समझौते द्वारा उनको दिए गए पृथक निर्वाचन मंडल की पुनःव्यवस्था की जाए तथा पूना पैक्ट का निराकरण किया जाए हिन्दू इसका विरोध अवश्य करेंगे। इस आलोचना के उत्तर में कि उनको हिन्दू बहुमत की दया पर छोड़ दिया गया है, मंत्रिमंडलीय आयोग, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के साधन के रूप में, अल्पसंख्यकों पर एक सलाहकार समिति बनाने के अपने प्रस्ताव का प्रचार करता रहा है। जो भी व्यक्ति सलाहकार समिति की शक्तियों तथा गठन की जांच करेगा, पायेगा कि यह समिति बेकार से भी बदतर है।

(i) वर्तमान रचना में यह संविधान सभा का निस्तेज प्रतिबिम्ब है। हिन्दुओं का इस पर भी संविधान सभा की तरह ही अधिकार होगा।

(ii) यह तथ्य कि संविधान सभा में तथा कांग्रेस की सद्भावना द्वारा निर्वाचित सलाहकार समिति में कुछ संख्या अछूत सदस्यों की होगी, उनके लिए कुछ भी सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सभा तथा सलाहकार समिति के अछूत सदस्य केवल हिन्दुओं की ही कठपुतली है।

(iii) सलाहकार समिति द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णयों को मात्र बहुमत पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि निर्णय सवर्ण हिन्दुओं द्वारा लिया जाएगा और उसे अल्पसंख्यकों पर लादा जाएगा।

(iv) सलाहकार समिति के निर्णय भले अनुकूल ही हों, पर वे सिफारिश ही होंगे, उससे अधिक नहीं। वे संविधान सभा पर बाध्यकारी नहीं है।

14. सलाहकार समिति की युक्ति, इस प्रकार से, यदि एक छल नहीं तो एक कपट है और इस पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए हिन्दू बहुमत द्वारा जो शरारत की जाती है, वह उसका विरोध करेगी। हिन्दू बहुमत की एकमात्र अछूतों के प्रति ही दुर्भावना है और यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अछूतों को उस राजनीतिक सुरक्षा से वंचित रखने का निश्चय कर लिया है जो कि बहुमत के कारण मिलनी चाहिए। यह बात 25 जून, 1946 को कांग्रेस द्वारा सम्बोधित पत्र (पत्राचार 6861 में मद 21) से प्रकट होती है। उस पत्र में कांग्रेस ने यह पत्र लिया है कि अछूत अल्पसंख्यक नहीं हैं। यह एक विस्मयकारक तर्क है। क्योंकि ''हरिजन'' नामक 21 अक्टूबर, 1939 के साप्ताहिक पत्र में श्री गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत में अछूत ही केवल वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने पूर्ण कलाबाजी की है। अब कांग्रेस द्वारा लिया गया आधार, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित सिद्धांतों के विपरीत है जो उनको अल्पसंख्यक मानते हैं। इस कलाबाजी द्वारा क्या शरारत अपेक्षित है, इसे जानना संभव नहीं है। यदि कांग्रेस अछूतों को यह नहीं मानती कि वे अछूत हैं, तो यह संभव है कि संविधान सभा उनको वह सुरक्षा प्रदान करने से इंकार कर दे जो वह अन्य अल्पसंख्यकों को देने के लिए सहमत है। इसलिए सलाहकार समिति अछूतों को खतरे से नहीं बचा सकती।

15. अतएव संसद को यह देखने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि अछूतों की स्थिति जोखिम में न पड़ जाए। संसद को यह केवल इस कारण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने वचन दिए है, बल्कि इस तथ्य के कारण भी करना चाहिए कि संविधान सभा के वाद विवाद की पुष्टि नहीं की जाती।

16. संसद क्या कर सकती है? अछूत यह चाहेंगे कि अंतरिम सरकार के सम्बंध में उनके साथ जो गलती की गई है उसका सुधार किया जाए। वे अपना कोटा निश्चित करना चाहेंगे। वे यह चाहेंगे कि कार्यकारिणी परिषद में उनके प्रतिनिधि नामित किए जाएं। ये अधिकार कोई नए दावे नहीं हैं। वे अछूतों के प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हें 1945 की शिमला कांफ्रेंस में मान्यता दी गई थी। वे यह महसूस करते हैं कि इस गलती को सुधारना अब कठिन हो सकता है, परन्तु यदि परिस्थितियां बदलें और सरकार का पुनर्गठन हो तो वे यह आशा करते हैं कि संसद इस गलती को ठीक करने लिए महामहिम की सरकार पर दबाव डाले।

17. अछूतों को उनकी राजनीतिक सुरक्षा से वंचित रखने के लिए दृढ़ संकल्प सवर्ण हिन्दुओं के बहुमत व प्रभाव वाली संविधान सभा से अछूतों को पहुंची हानि व क्षति से बचाने के लिए काफी किया जा सकता है। इस हानि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं :

(i) महामहिम की सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वह यह घोषणा करे कि वह अछूतों की अल्पसंख्यक मानती है।

कांग्रेस ने अपने 25 जून, 1946 के पत्र (पृष्ठ 6861 में मद 21) में जो आधार/पक्ष लिया है। उसकी दृष्टि से यह आवश्यक है। यह इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस को वायसराय ने, दिनांक 27 जून, 1946 के उत्तर में (पत्राचार संख्या 6861 में मद 38) कांग्रेस के इस विवाद को कि अछूत अल्पसंख्यक नहीं हैं निश्चित रूप में नकारने में टालमटोल की है। यदि सरकार पर घोषणा करने के लिए अब दबाव नहीं डाला गया तो अछूतों को दो प्रकार से हानि होगी।

(क) हिन्दुओं के प्रभुत्व वाली संविधान सभा उनको अल्पसंख्यक का अधिकार देने से इनकार कर देगी।

(ख) महामहिम की सरकार इस आधार पर उनके बचाव के लिए आगे न आने को स्वतंत्र होगी कि वह अछूतों को अल्पसंख्यक मानने के लिए वचनबद्ध नहीं है।

(ii) यह घोषणा करने के लिए दबाव डाला जाए कि क्या महामहिम की सरकार एक व्यवस्था तंत्र स्थापित करेगी, यदि हाँ तो किस किस्म का जो इस बात की जांच करे कि क्या संविधान सभा द्वारा निर्मित अल्पसंख्यकों कें लिए सुरक्षाएं पर्याप्त तथा वास्तविक हैं या नहीं।

(क) दिनांक 25 मई, 1946 के अपने पूरक विवरण (बयान) (पत्राचार 6835) में मंत्रिमंडलीय आयोग यह कहता है :–

''जब संविधान सभा अपना श्रम पूरा कर लेगी, महामहिम का सरकार संसद से ऐसी कार्यवाही की सिफारिश करेगी जो भारत की जनता की प्रभुसत्ता के लिए आवश्यक हो, परन्तु केवल दो मामलों के अधीन, जिनका उल्लेख वक्तव्य में है और जिनके विषय में हमारा विश्वास है कि विवादास्पद नहीं है, अर्थात, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था (वक्तव्य का पैरा 20) तथा सत्ता–हस्तांरण से उत्पन्न मामलों को शामिल करने के लिए महामहिम की सरकार के साथ संधि करने की इच्छा (वक्तव्य का पैरा 22)

इस पैरा के पीछे का विचार बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। महामहिम की सरकार पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए दबाव डाला जाए कि उसकी मंशा क्या है?

(ख) यदि ''मामलों के अधीन'' शब्दों का अर्थ यह है कि महामहिम की सरकार अपने पास यह अधिकार रखती है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षाओं की वह जांच करने का अधिकार रखती है ताकि यह पता चल सके कि क्या वे पर्याप्त तथा वास्तविक हैं, तो महामहिम की सरकार पर यह दबाव देना आवश्यक है कि वह यह बताए कि ऐसी जांच के लिए उसका क्या तंत्र बनाने का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक समुदायों से साक्षियों

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

की जांच करने के लिए एक शक्ति सम्पन्न संयुक्त संसदीय समिति का तंत्र सबसे उपयुक्त होगा। इसके लिए एक पूर्वोदाहरण है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बन रहा था तो एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई थी। संविधान सभा की रिपोर्ट पर कार्यवाही में पूर्वोदाहरण का अनुसरण करने में कोई गलती नहीं होगी।

(iii) महामहिम की सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वह यह घोषणा करे कि क्या वह संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान के लिए आग्रह करेगी जिसमें भावी भारतीय विधायिका द्वारा मात्र बहुमत से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को नष्ट करने की शक्ति को समिति करने वाला अनुच्छेद हो।

(क) न तो 16 मई, 1946 के मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रथम वक्तव्य में और न 25 मई, 1946 के पूरक विवरण में, स्वतंत्र भारत की विधायिका के विरूद्ध व्यवस्था करने, संविधान को बदलने तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से सम्बंधित अनुच्छेद को रद्द करने की बात है। संसद में सुरक्षा की शुरूआत करने का कोई लाभ नहीं हैं, यदि इन सुरक्षाओं को भारतीय विधायिका द्वारा नष्ट किया जा सकता हो। ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध एकमात्र रक्षोपाय यह आश्वस्त करना है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में ऐसे अनुच्छेद हों जो भारतीय विधायिका की सांविधिक शक्तियों पर सीमा व प्रतिबंध लगाते हों और अल्पसंख्यक रक्षोपायों में परिवर्तन करने से पहले पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करते हों। ऐसी व्यवस्था व प्रावधान संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के संविधान में विद्यमान है।

(ख) यद्यपि यह अल्पसंख्यकों के लिए अत्यावश्यक महत्व का मामला है, फिर भी मंत्रिमंडलीय आयोग ने इस विषय पर कोई विचार नहीं किया है। महामहिम की सरकार इस प्रश्न के सम्बंध में क्या करेगी इस बात को बताने के लिए इस पर दबाव डालना आवश्यक है।

साभार :
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–19, पेज संख्या 132 से 144 तक
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

महाशिवरात्रि

फल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। यह शिवजी का अत्यन्त महत्वपूर्ण व्रत है। ईसान संहिता में इसे महा शिवरात्रि कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में शिव रहस्य में लिखा है।

चतुर्दस्याँ तुं कृष्णायां फाल्गुणे शिव पूजनम।

कहीं–कहीं यह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भी मनाई जाती है। कथन इस प्रकार है।

एक बार कैलाश पर्वत पर बैठी पार्वती ने शिव से पूँछा कि ऐसा कौन–सा व्रत है जिससे मनुष्य आपको प्राप्त कर सकता है? इस पर शिवजी ने शिवरात्रि का व्रत बतलाया था। उन्होंने बताया कि एक देश में एक बहेलिया था जो रोजाना जीवों को मारता था उस पर एक साहूकार का कर्ज था। समय पर कर्ज न लौटाने पर साहूकार ने उसे शिव मन्दिर में बन्द का दिया उस दिन तेरस थी मन्दिर में शिव कथा हो रही थी उसे वह बहेलिया सुनता रहा। व्रत की कथा भी सुनी। सुबह चौदस को रुपया देने का वायदा कर वह छूट आया और जंगल में शिकार को चला गया पर उसे शिकार नहीं मिला, वह जंगल में ही एक जलाशय के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक शिव की मूर्ति थी उस पर बेल के पत्ते हिलकर गिर पड़े वह सारे दिन भूखा रहा। इस प्रकार उसका व्रत और शिव पूजा दोनों हो गई। वह शिव भक्ति में इतना लीन और शुद्ध हो गया कि तीन हिरनी और एक हिरन वहाँ से निकले पर व्याघ्र ने उन्हें मारा। शिवजी ने प्रसन्न होकर उस बहेलिये को स्वर्ग लोक में बुला लिया।

विधि विधान – प्रातःकाल स्नान से निव्रत होकर अनशन व्रत रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन में जल भरकर ऊपर से बेलपत्र, ढाक, धतूरे, फूल डालकर शिव लिंग या शिव मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। भंग पीकर व्रत रखा जाता है और रात भर जागरण किया जाता है। स्त्री–पुरुष भंग पीकर खुला नाच करते है। शिव पुराण का पाठ किया जाता है।

उद्देश्य एवं रहस्य – वास्तव में शिव अनार्यों के देवता है और विष्णु आर्यों के देवता। आर्यों अनार्यों का घोर संघर्ष हुआ उसमें शिव का भी विष्णु से घोर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे का खून बहाया परन्तु जब युद्ध शान्त हो गया तो आर्य ब्राह्मणों ने शिव को अपने देवताओं को श्रेणी में ? सम्मिलित कर लिया और उनकी पूजा का भी विधान रच दिया और शिव के नाम से शिव पुराण और लिंग पुराण लिख दिए जिनमें शिवजी के मुँह से आर्य ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और अनार्यों को नीच लिखा। वास्तव में शिव अनार्यों के देवता है। आर्य हिन्दुओं ने उन्हें अपना स्नेही बनाने के लिए आर्य राजा की कन्या पार्वती तक शिव के हवाले कर दी और बाद को उनकी प्रशंसा कर उनको भी भ्रष्ट कर दिया। शिव ने हिन्दुओं के देव के रूप में बाल्मीक रामायण के बाद से ही स्थान पाया है। शिव पूजा का उद्देश्य यही रहा है कि शिवजी आर्यों के शत्रु थे। यह शत्रुता चलती न जाए और कभी अनार्य द्रविड़ इन आर्यों को विदेशी कहकर मारकर निकाल न दें। आर्यों को मूर्ख बनाने के लिए हिन्दुओं की राजनीतिक चाल है इस दिन शिव लिंग की पूजा कर बालिकाएँ सुन्दर का बलिष्ट पति की कामना करती है। यह व्रत अश्लीलता का जनक है। भंग पीकर जो मन्दिरों में नाच होता है। उसमें पण्डे लोग अपनी भोग लिप्सा पूरी करते हैं।

साभार :
हिन्दुओं के ब्रत, पर्व और त्यौहार
पृ.सं. 112 से 113 तक।
लेखक एस. एल. सागर